

मान्यता कोड : RJAJM32956

कार्यालय: जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक AJMER, राजस्थान

क्रमांक: प्राजा/मु/मा/क/वर्चुअल मान्यता/23-24/225दिनांक 31/07/2023

सचिव

प्रबंध समिति

PRAGYA VIRTUAL SCHOOL

विषय - राजस्थान गैरसरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 के नियम 5 एवं शासन के पत्र क्रमांक प. 9 (51) शिक्षा ग्रुप -5 / मान्यता दिशा निर्देश /2022 दिनांक 22/12/2022 के अधीन वर्चुअल विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन पत्र क्रमांक 45489 और इस सम्बन्ध में संस्था/ विद्यालय के साथ किये गए पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के सन्दर्भ में, PRAGYA VIRTUAL SCHOOL पता SHRI PRAGYA JAIN SMARAK SAMITI, BIJAINAGAR DIST AJ ग्राम पंचायत/ शहरी स्थानीय निकाय NAGAR PALIKA Vijainagar ब्लॉक MASOODA आसा पास (पूर्व -पश्चिम, उत्तर दक्षिण) खसरा न. से निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन निम्नानुसार वर्चुअल मान्यता की स्वीकृति दी जाती है :-

| वर्चुअल मान्यता के लिए विवरण   |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| वर्चुअल विद्यालय का नाम        | PRAGYA VIRTUAL SCHOOL (P70721) |
| विद्यालय का स्वीकृत कक्षा स्तर | Sec. with Higher Sec. (9-12)   |
| स्वीकृत माध्यम                 | E                              |

वर्चुअल मान्यता के अनुसार कक्षा 11 एवं 12 में स्वीकृत संकाय एवं विषय का विवरण

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विज्ञान संकाय | Physics (Science Stream), Chemistry (Science Stream), Biology (Science Stream), Geology, Mathematics (Science Stream)                                                                                                                                                  |
| कला संकाय     | Economics (Arts Stream), Political Science, Sanskrit Literature, History, Geography, English Literature, Hindi Literature, Sindhi Literature, Rajasthani Literature, Drawing, Home Science, Sociology, Philosophy, Psychology, Public Administration, Computer Science |
| वाणिज्य संकाय | Commerce (Accountancy), Commerce (Business Studies), Economics (Commerce Stream), Mathematics (Commerce Stream), Commerce (Type Hindi & English), Commerce (Short Hand Hindi), Commerce (Short Hand English), Computer Science, Informatics Practices                  |
| कृषि संकाय    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



30/07/23  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक

मान्यता कोड : RJAJM32956

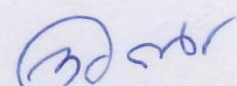
1. मान्यता प्राप्त गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय को राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था ( मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993, राजस्थान विद्यालय (फीस विनियमन) अधिनियम 2016, नियम 17 एवं समय - समय पर जारी विभागीय आदेशों / दिशा -निर्देशों की पालना करनी अनिवार्य होगी।
2. राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों की पालना करनी होगी तथा वांछित सूचनाएँ/अभिलेख अविलम्ब उपलब्ध करवाने होंगे।
3. विभागीय निरीक्षण के समय वर्चुअल विद्यालय के लिए निर्धारित मापदण्ड (भौतिक एवं वित्तीय) में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर मान्यता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।
4. वर्चुअल विद्यालय द्वारा भविष्य में कभी भी राज्य सरकार से अनुदान की मांग नहीं की जाएगी।
5. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के वर्चुअल मान्यता सम्बन्धित विनियमों की पालना करनी होगी एवं मान्यता प्राप्ति के बाद वर्चुअल विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर से सम्बद्धता हेतु बोर्ड द्वारा निर्धारित अवधि में आवेदन करना होगा तथा अन्य किसी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने हेतु विभागीय NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगी।
6. वर्चुअल विद्यालय का नाम / माध्यम परिवर्तन इत्यादि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से स्वीकृति प्राप्त कर ही किए जाएंगे।
7. गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय में अध्ययनरत किसी भी विद्यार्थी का शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जावेगा। ऐसा आरोप प्रमाणित होने पर सम्बन्धित गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय के विरुद्ध मान्यता/ क्रमोन्नति वापिस लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।
8. Emblems and Name (Prevention of improper use) Act 1950 के तहत वर्चुअल विद्यालय के नेशनल, राष्ट्रीय प्रतीक एवं ध्वज, सेना / सैनिक इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अतः वर्चुअल विद्यालयों के नाम में इनका प्रयोग नहीं किया जावे।
9. वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिये निजी विद्यालय से किये गये MOU संबंधी भविष्य में किसी भी प्रकार का न्यायिक/अन्य वाद दायर होने पर शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय/व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा रजिस्टर्ड MOU में उक्त पंक्ति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
10. प्रायोगिक परीक्षा तथा जिला समान परीक्षा को आयोजित करने की सम्पूर्ण व्यवस्था वर्चुअल स्कूल को अपने स्तर पर सहभागी गैर सरकारी विद्यालय परिसर में करवानी होगी।
11. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर / अन्य बोर्ड से सम्बंधित परीक्षाओं के संचालन में बोर्ड एवं विभागीय दिशा - निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
3. सचिव, CBSE/CAIE/CISCE।
4. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।



  
जिला शिक्षा अधिकारी  
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा अजमेर  
जिला शिक्षा अधिकारी  
मुख्यालय माध्यमिक